

# छत्तीसगढ़ विधान सभा

क्रमांक 44

पत्रक भाग -दो

गुरुवार, दिनांक 22 जुलाई, 2021 (आषाढ़ 31,1943)

## कोरोना कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक व्यवस्था।

विधान सभा का आगामी सत्र सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2021 से शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2021 तक आहूत किया गया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जुलाई, 2021 सत्र में निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा है :-

1. माननीय मंत्रीगण, माननीय संसदीय सचिव एवं माननीय सदस्यों के पी.एस.ओ. एवं फालो पायलट वाहन का विधान सभा परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. माननीय संसदीय सचिव एवं माननीय सदस्यों के निज सचिव/निज सहायकों का प्रवेश विधान सभा परिसर में प्रतिबंधित रहेगा।
3. माननीय मंत्रीगण की निजी स्थापना के केवल एक व्यक्ति को विधान सभा परिसर में प्रवेश दिया जाएगा और वे माननीय मंत्री के कक्ष में ही रहेंगे, इधर-उधर भ्रमण नहीं करेंगे।
4. विधान सभा भवन के मुख्य परिसर (ए-ब्लॉक) में केवल माननीय मंत्रीगण, माननीय संसदीय सचिव एवं माननीय सदस्यों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
5. आम नागरिकों का विधान सभा परिसर में प्रवेश वर्जित है, इसलिए अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को न लाए।
6. सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वे मास्क लगाकर ही विधान सभा में प्रवेश करें।
7. सदन की बैठक प्रारंभ होने के पूर्व माननीय सदस्यों का टेम्प्रेचर एवं ऑक्सीजन लेवल की जाँच की जाएगी, अतः सभी से अनुरोध है कि कृपया पर्याप्त समय पूर्व विधान सभा पहुंचने का कष्ट करें।
8. सभी माननीय सदस्य कोरोना संक्रमण के मद्देनजर केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

चन्द्र शोखर गंगराड़े

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा